सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या- 16

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड,

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

The particulars of facilities available to citizens for obtaining information

किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अविध में किसी भी समय आयोग में उपलब्ध अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आयोग से संबंधित ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो उस व्यक्ति या संगठन से सम्बन्धित है। इस उद्देश्य के लिए किसी वाचनालय या पुस्तकालय की अलग से व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।